# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,जल संसाधन खण्ड द्वितीय, अजमेर

क्रमांक : दिनांक :

## विज्ञप्ति

—:::—:::—

तहसील पुष्कर में बूढ़ा पुष्कर सरोवर तक मुख्य फीडर एवं 6 लैटरल के निर्माण हेतु 0.9915 हैक्टर वनभूति प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत् धारा–2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर के प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या 11–9/98–एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए तहसील पुष्कर में बूढ़ा पुष्कर सरोवर तक मुख्य फीडर एवं 6 लैटरल के निर्माण हेतु 0.9915 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

01. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
02. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
03. प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।
04. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षैत्र की वनस्पतियों एवंज जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
05. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित पेड़ो को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे।
06. प्रत्यावर्तित क्षैत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीवन(Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजन एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।
07. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षोका दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथ्ज्ञा संभव राशि जमा की जायेगी।
08. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।
09. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्नीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत् में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

10. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम ) ब्लॉक–11, भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलक्स फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–11003 में जाम कराया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।
13. अभिकरण द्वारा मान्नीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत् दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वो.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11, भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–11003 में जमा करने के उपरांत ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या(जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत की प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
14. नोडल अधिकारी(वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एससी दिनांक 24.07.2013 से मान्नीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारितं निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें। तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियो की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों का स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अमर चन्द)
अधिशाषी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड द्वितीय अजमेर